


सीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ,  
उपखण्ड - सांगानेर  
जिला - जयपुर

विषय: - जमाबंदी में शुद्ध करवाने का वक्त ।

महोदयजी, उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम - खरवाडा में खाला 63 में मन्नालाल पुत्र कानूराम दि. 7/4 आदि माली की, डेह के नाम में भूमि है। प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक कभी बैंक में रु. लोन नहीं लिया गया है किन्तु ऑनलाईन जमाबंदी में सहकर्म से प्रार्थी का हिस्सा शोषाधान मरकबरा ग्रामीण बैंक के नाम रहन दर्ज हो गया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का रहन हटाकर - जमाबंदी में शुद्ध करने की कृपा करें।

- ILR नं. 20/23  
- 4-8 4513.  
जयपुर का जल 215 रु. की

10/7/24  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



प्रार्थी

मन्नालाल पुत्र कानूराम  
नि. खरवाडा  
मौ. - 8561929102

